

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2630] No. 2630] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 अगस्त. 2019

का.आ. 2889(अ).—जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 31 अक्तूबर, 2019 को नियत दिन के रूप में निश्चित करती है।

[फा. सं. 11014/05/2014-के-I]

राजीव गौबा, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu and Kashmir Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2889(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), the Central Government hereby appoints the 31st day of October, 2019, as the appointed day for the purposes of the said Act.

[F. No. 11014/05/2014-K-I]

RAJIV GAUBA, Secy.